पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 अक्टूबर, 2019 ई0 (कार्तिक 04, 1941 शक सम्वत्) [संख्या–43

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	663–670	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	1097–1106	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	179–200	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–4

विज्ञप्ति / नियुक्ति

15 अक्टूबर, 2019 ई0

संख्या 389 / XXX (4) / 2019–04(1) / 2018–टी0सी0–उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 2004 यथासंशोधित नियमावली, 2016 के नियम–22(2) के प्रावधानुसार, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा चयन परीक्षा–2019 में सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित 04 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या–5788/XIII-b-1/Admin.A/2019, दिनांक 23 अगस्त, 2019 द्वारा की गई संस्तुति के सापेक्ष निम्नलिखित 03 अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग के वेतनमान ₹ 51,550–1,230–58,930–1,380–63,070, ग्रेड वेतन–₹ 8,900 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से नियुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	नाम	वर्तमान पता	अभ्युक्ति
1.	श्री अश्विनी गौड़	ग्राम–मुण्डलाना, पोस्ट–मंगलौर नगर, हरिद्वार	सीधी भर्ती
2.	श्री विक्रम	म0नं0–134, गली नं0–5, रिशाल गार्डन, नजफगढ़ रोड, नांगलोई, नई दिल्ली	सीधी भर्ती
3.	सुश्री अंजली नौलियाल	म0नं0–342, वार्ड नं0–1, स्टॉफ हाउस कम्पाउण्ड, हनुमान मंदिर के पास, मल्लीताल, नैनीताल	सीधी भर्ती

2. उक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए श्री राज्यपाल परिवीक्षा पर रखते हैं। उक्त अभ्यर्थियों के तैनाती आदेश मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

अधिसूचना

26 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 1253 / VII–3–19 / 19(26)–एम0एस0एम0ई0 / 2018–उत्तराखण्ड राज्य एवं National University of Singapore, Acting Through Lee Kuan Yew School of Public Policy's Asia Competitiveness Institute के मध्य हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 की शर्तों के क्रम में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा राज्य की एम0एस0एम0ई0 इकाइयों हेतु प्रोडक्टिविटी ट्रेकिंग एण्ड एफिशिएंसी मॉनटरिंग इन्डेक्स तैयार किया जाना है। इस इन्डेक्स के लिए पूरे प्रदेश से लगभग 1000 इकाइयों के प्रतिदर्श एकत्रित किए जायेंगे। एतद्द्वारा उक्त सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना की गोपनीयता एवं सर्वेक्षण के परिणाम को The Collection of Statistics Act, 2008 की धारा–13 एवं Collection of Statistical Rule-2011 के नियम–5 के प्राविधानानुसार किए गए सर्वेक्षण एवं प्राप्त सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. चयनित औद्योगिक इकाइयों के प्रतिदर्श के उद्देश्य से प्राप्त सूचना की गोपनीयता, सर्वेक्षण का उद्देश्य व सर्वेक्षण के परिणाम को किसी भी दशा में सर्वेक्षण से इतर उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

ग्राम्य विकास अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

03 सितम्बर, 2019 ई0

संख्या 654/XI(1)/2019/53(01)2018–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा पदोन्नति के परिणामस्वरूप चयनित निम्नलिखित सहायक खण्ड विकास अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे–₹ 5,400 (सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। पदोन्नत खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती निम्न तालिका में उल्लिखित उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपदों में की जाती है। विकास खण्डों में तैनाती स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों के द्वारा की जायेगी:–

क्र0 सं0	खण्ड विकास अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	नवीन तैनाती का जनपद
1	2	3	4
1.	श्री दिनेश चन्द्र जोशी	ऊधमसिंह नगर	पिथौरागढ़
2.	श्री मंगल चन्द्र जोशी	ऊधमसिंह नगर	नैनीताल
3.	श्री त्रिलोक सिंह भाकुनी	अल्मोड़ा	बागेश्वर
4.	श्री हरीश चन्द्र जोशी	ऊधमसिंह नगर	चम्पावत

2. उक्त पदोन्नत खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती जनपद में योगदान करने के उपरान्त कार्यभार प्रमाणक आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

संख्याः 67/XXVI/दो(20)/2004

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 29 अगस्त, 2019 ई0

विषयः–अर्थ एवं संख्या निदेशालय में अपर निदेशक के एक अतिरिक्त पद के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2474/स्था0/ढांचा/2008–II, दिनांक 13 मार्च, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अर्थ एवं संख्या निदेशालय में कार्यों में व्यापक बढ़ोत्तरी, विशेषकर सतत् विकास लक्ष्यों के अनुश्रवण एवं समन्वयन, सपोर्ट फॉर स्टैस्टिकल स्ट्रैन्थिंग प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन, आर्थिक सर्वेक्षण, मानव विकास रिपोर्ट, जी0आई0एस0 आधारित अनुश्रवण व्यवस्था आदि के कार्यों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए अर्थ एवं संख्या निदेशालय में अपर निदेशक, वेतनमान ₹ 1,23,100–2,15,900 (लेवल–13) में एक अतिरिक्त अस्थाई पद दिनांक 29.02.2020 तक बशर्ते कि उक्त पद इससे पूर्व समाप्त न कर दिया जाय, शासनादेश निर्गत करने की तिथि से सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0–07 के अधीन लेखाशीर्षक–3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–434, दिनांक 26.08.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

सूचना अनुभाग–01

अधिसूचना

05 सितम्बर, 2019 ई0

संख्या 384/XXII(1)/2019–7(11)2012–राज्यपाल, उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015 में अग्रेत्तर संशोधन किए जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्–

उत्तराखण्ड प्रिंट मीडिया विज्ञापन (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन (संशोधन) नियमावली, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड प्रिंट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015, (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम–5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
समिति में गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल, चयन एव पद से हटाया जाना 5.(क) समिति में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन भारतीय प्रेस परिषद् से मान्यता प्राप्त प्रिन्ट मीडिया संगठनों के दो पत्रकार तथा उत्तराखण्ड श्रम विभाग से पंजीकृत प्रिन्ट मीडिया संगठनों के दो पत्रकारों में से किया जायेगा। एक संगठन से केवल एक सदस्य का नामांकन किया जायेगा। शेष चार पत्रकार मा0 सूचना मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किए जायेंगे।	समिति में चार गैर सरकारी सदस्यों (पत्रकार संगठनों के माध्यम से) का कार्यकाल, नामांकन एवं पद से हटाया जाना 5.(क) समिति में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन भारतीय प्रेस परिषद् से मान्यता प्राप्त प्रिन्ट मीडिया संगठनों के दो तथा उत्तराखण्ड श्रम विभाग से पंजीकृत प्रिन्ट मीडिया संगठनों के दो संगठनों में से किया जाएगा। प्रत्येक संगठन द्वारा तीन पत्रकारों का नाम संबंधित पत्रकार संगठन के अध्यक्ष की संस्तुति सहित प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त सूचना मंत्री/मुख्यमंत्री द्वारा एक संगठन से केवल एक पत्रकार नामित किया जाएगा।
(ख) उक्त सदस्यों/पत्रकारों का चयन सम्बन्धित पत्रकार संगठनों के अध्यक्ष की संस्तुति पर किया जायेगा।	(ख) समिति में पत्रकार संगठनों के माध्यम से आये हुए सदस्यों के अतिरिक्त शेष चार पत्रकार सदस्य सूचना मंत्री/मुख्यमंत्री द्वारा नामित किए जायेंगे।
(ग) इन सदस्यों/पत्रकारों का कार्यकाल अधिकतम दो वर्ष होगा।	(ग) समिति में नियम 5(क) व नियम 5(ख) में उल्लिखित गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम दो वर्ष होगा। सूचना मंत्री/मुख्यमंत्री द्वारा इनका कार्यकाल दो वर्ष से पूर्व समाप्त किया जा सकता है।
(घ) पत्रकार संगठनों से समिति में सदस्यों का चयन प्रति दो वर्ष के लिए संगठनों के नाम के हिन्दी वर्णाक्रमानुसार रोस्टर के आधार पर किया जायेगा।	(घ) समिति में सदस्यों को नामित किए जाने हेतु समस्त अर्ह पत्रकार संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे। तदोपरान्त सूचना मंत्री/मुख्यमंत्री के अनुमोदन के आधार पर गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किए जायेंगे।
(ङ) समिति में नामित गैर सरकारी सदस्यों के त्यागपत्र देने, संबंधित संगठन से निष्कासित किए जाने अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ होने तथा न्यायालय से दोषसिद्ध होने पर, सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।	(ङ) समिति में नामित गैर सरकारी सदस्यों के त्यागपत्र देने, संबंधित संगठन से निष्कासित किए जाने अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ होने तथा न्यायालय से दोषसिद्ध होने पर, सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

नियम 7–क का अंतःस्थापन

3. मूल नियमावली के नियम–7 के पश्चात् नियम 7–क अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्–

"7–क सूचीबद्धता हेतु संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता महानिदेशक, सूचना द्वारा की जायेगी, किन्तु अपरिहार्य कारणों में महानिदेशक, सूचना की अनुपस्थिति में सूचीबद्धता हेतु संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता सदस्य सचिव द्वारा की जा सकेगी, तदापि बैठक के कार्यवृत्त/निर्णय का अनुमोदन महानिदेशक, सूचना द्वारा प्रदान किया जायेगा।"

नियम 10.1(क) का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम 10.1(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10.1(क) निविदा सूचना के विज्ञापन 'उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008' में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किए जायेंगे तथा सामान्य दशा में निविदा सूचना का प्रकाशन अधिकतम तीन समाचार पत्रों में ही कराया जायेगा। उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे दो समाचार पत्रों, जिनका प्रसार राज्य में सबसे अधिक हो तथा उनकी पहुँच एवं लोकप्रियता जनसाधारण में हो, में दो समाचार–पत्रों में वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित कराया जाना आवश्यक होगा। क्षेत्रीय समाचार पत्रों में वर्गीकृत विज्ञापन मण्डलवार प्रसार संख्या के आधार पर रोस्टर के अनुसार प्रकाशित कराये जायेंगे। विज्ञापन के महत्व व प्रचार की आवश्यकता को देखते हुए तीन से अधिक समाचार पत्रों को भी वर्गीकृत विज्ञापन निर्गत किया जा सकेगा।	10.1(क) निविदा सूचना के विज्ञापनों के संबंध में "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रेक्योरमंट) नियमावली 2017" (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–10(1) में उल्लिखित व्यवस्था लागू होगी।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,
सचिव।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना / स्थानान्तरण

13 सितम्बर, 2019 ई0

संख्या 735 / 2019 / 04(100) / XXVII(8) / 2019–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–1340 / आयु0रा0क0 उत्तरा0 / स्था0अनु0 / रा0कर / 2019–20 / दे0दून, दिनांक 05.07.2019 तथा 1445 / आयु0रा0क0 उत्तरा0 / स्था0अनु0 / रा0क0 / 2019–20 / दे0दून, दिनांक 10.07.2019 के द्वारा किए गए प्रस्ताव के संदर्भ में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार शासन स्तर पर गठित स्थाई स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–179 / XXX(2) / 19 / 30(13) / 2017, दिनांक 02.07.2019 के द्वारा दिए गए विचलन / छूट के क्रम में राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत अग्रसारित उपायुक्तों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित स्थान पर तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री तारकेश्वर मिश्रा, उपायुक्त, राज्य कर	उपायुक्त (क0नि0)–2 (सितारगंज), राज्य कर, खटीमा	उपायुक्त (क0नि0)–2 (रामनगर), राज्य कर, रुड़की	धारा–13 के अन्तर्गत
2.	श्री निशिकान्त सिंह, उपायुक्त, राज्य कर	उपायुक्त (क0नि0), राज्य कर, अल्मोड़ा	उपायुक्त (क0नि0)–1 (लालपुर), राज्य कर, रुद्रपुर	धारा–10 के अन्तर्गत
3.	श्री विजय कुमार, उपायुक्त, राज्य कर	उपायुक्त (क0नि0), राज्य कर, श्रीनगर (गढ़वाल)	उपायुक्त (क0नि0)–1 (सिविल लाइन्स), राज्य कर, रुड़की	धारा–10 के अन्तर्गत
4.	श्री प्रमोद कुमार जोशी, उपायुक्त, राज्य कर	उपायुक्त (क0नि0)–2 (हरबर्टपुर), राज्य कर, विकासनगर	उपायुक्त (क0नि0)–2 (आढ़त बाजार), राज्य कर, देहरादून	धारा–13 के अन्तर्गत

02. उक्त सूची के बिन्दु संख्या–1 में अंकित अधिकारी का उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 3(घ) की समस्त औपचारिकताएँ, आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड के स्तर से पूर्ण किए जाने के पश्चात् स्थानान्तरण आदेशों के क्रियान्वित किए जाये।

03. उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल योगदान देना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

गृह अनुभाग–6

कार्यालय ज्ञाप

24 सितम्बर, 2019 ई0

संख्या 799/बीस–6/2019–01(08)2007–एतद्द्वारा गृह विभाग के नियन्त्रणाधीन अभियोजन विभाग में नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित जनपद पर तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	सहायक अभियोजन अधिकारी का नाम	गृह जनपद	नवीन तैनाती का जनपद
1	2	3	4
1.	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री सोमिका अधिकारी	पिथौरागढ़	देहरादून
2.	आशीष गुप्ता	पिथौरागढ़	ऊधमसिंह नगर
3.	अशोक कुमार	ऊधमसिंह नगर	नैनीताल
4.	वासुदेव	मेरठ (उ0प्र0)	चमोली
5.	पूजा देवी	हरिद्वार	चमोली
6.	सीमा रानी	हरिद्वार	टिहरी
7.	जयपाल सिंह	गोरखपुर (उ0प्र0)	हरिद्वार

1	2	3	4
	सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री		
8.	नवीन राणा	उत्तरकाशी	टिहरी
9.	देव मणी पाण्डेय	सुल्तानपुर (उ0प्र0)	हरिद्वार
10.	विशाल गौड़	हरिद्वार	नैनीताल
11.	उपेन्द्र शर्मा	ऊधमसिंह नगर	चम्पावत
12.	राम कुमार सिंह	हमीरपुर (उ0प्र0)	ऊधमसिंह नगर
13.	संजीता त्रिपाठी	हरिद्वार	देहरादून
14.	मीना खान	ऊधमसिंह नगर	अल्मोड़ा
15.	ज्योति सिंह	ऊधमसिंह नगर	हरिद्वार
16.	रितेश वर्मा	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़
17.	अनुराग वरूण	देहरादून	टिहरी
18.	प्रमोद चन्द्र आर्य	बागेश्वर	रुद्रप्रयाग
19.	विक्रान्त राठौर	हरिद्वार	उत्तरकाशी
20.	नीतू आर्य	अल्मोड़ा	देहरादून
21.	राजेश सिंह	चमोली	उत्तरकाशी
22.	गोविन्द सिंह	चमोली	पौड़ी
23.	मौ0 दाउद सिद्दकी	अल्मोड़ा	बागेश्वर

2. उपरोक्त नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी अपनी नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

3. उपरोक्त नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारियों द्वारा जनपद में तैनाती के दौरान पुलिस थाने में 01 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा।

आज्ञा से,

ओमकार सिंह,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 43 हिन्दी गजट / 467—भाग 1—2019 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 अक्टूबर, 2019 ई0 (कार्तिक 04, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

October 01, 2019

No. 243/UHC/Admin.A/2019–In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 (Act No. XII of 1887) **[also applicable to the State of Uttarakhand]** read with Government of Uttarakhand Notification No. 420-Ek(1)/XXXVI(1)/Nyay Anubhag/2005, dated 07.11.2005, the High Court is pleased to direct that the following 08 Civil Judge (Jr. Div.) batch-2016, posted in the State of Uttarakhand, shall have jurisdiction to try Civil Suits of pecuniary value not exceeding ₹1.00 Lac.

S. No.	Name of the Officer
1.	Ms. Poonam Todi
2.	Ms. Pallavi Gupta
3.	Ms. Urvashi Rawat
4.	Sri Shalender Kumar Yadav
5.	Ms. Chairav Batra
6.	Ms. Karishma Dangwal
7.	Ms. Tanuja Kashyap
8.	Sri Manoj Singh Rana

NOTIFICATION

October 01, 2019

No. 244/UHC/Admin.A/2019–In exercise of powers conferred U/s 11(3) of the Code of Criminal Procedure, 1973, following Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Jr. Div.) batch-2016 are conferred with powers of Judicial Magistrate 1st Class to exercise these powers within the District, where they remain posted.

S. No.	Name of the Officer
1.	Ms. Poonam Todi
2.	Ms. Pallavi Gupta
3.	Ms. Urvashi Rawat
4.	Sri Shalender Kumar Yadav
5.	Ms. Chairav Batra
6.	Ms. Karishma Dangwal
7.	Ms. Tanuja Kashyap
8.	Sri Manoj Singh Rana

By Order of the Court,

Sd/-
HIRA SINGH BONAL,
H.J.S.
Registrar General.

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)

25 सितम्बर, 2019 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 4072/रा0कर आयु0 उत्तरा0/विधि–अनुभाग/Noti. Vol.I/2019–20/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 773/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT–38 एवं 774/2019/3(120)/XXVII(8)/2019/ON-07, समदिनांकित 23 सितम्बर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम–45 के उपनियम (3) के अधीन प्ररूप आईटीसी–04 देने की अपेक्षा नहीं होने तथा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (सातवाँ कठिनाईयों का निवारण) आदेश, 2019 जारी किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

23 सितम्बर, 2019 ई०

संख्या 773/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT–38–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 143 के साथ पठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 45 के उपनियम (3) के अधीन प्ररूप आईटीसी–04 में चालान के ब्यौरे देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो ऐसी विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, जिससे उक्त व्यक्तियों से जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए उक्त नियमों के नियम 45 के उपनियम (3) के अधीन प्ररूप आईटीसी–04 देने की अपेक्षा नहीं होने के सम्बन्ध :

परन्तु उक्त व्यक्ति, अप्रैल से जून, 2019 तक की तिमाही के लिए प्ररूप आईटीसी–04 की क्रम संख्या 4 में, जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की अवधि में छुटपुट काम करने वाले कर्मकार को भेजे गए ऐसे माल के संबंध में सभी चालानों के ब्यौरे देंगे, जो दिनांक 31 मार्च, 2019 तक कर्मकार से वापस प्राप्त नहीं हुआ है या जिसकी छुटपुट काम करने वाले कर्मकार के स्थान से पूर्ति नहीं की गई है।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 773/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT-38**, dated September 23, 2019 for general information.

NOTIFICATION

September 23, 2019

No. 773/2019/10(120)/XXVII(8)/2019/CT-38–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify the registered persons required to furnish the details of challans in **FORM ITC-04** under sub-rule (3) of rule 45 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), read with section 143 of the said Act, as the class of registered persons who shall follow the special procedure such that the said persons shall not be required to furnish **FORM ITC-04** under sub-rule (3) of rule 45 of the said rules for the period July, 2017 to March, 2019:

Provided that the said persons shall furnish the details of all the challans in respect of goods dispatched to a job worker in the period July, 2017 to March, 2019 but not received from a job worker or not supplied from the place of business of the job worker as on the 31st March, 2019, in serial number 4 of **FORM ITC-04** for the quarter April-June, 2019.

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (सातवाँ कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019

23 सितम्बर, 2019 ई०

संख्या 774/2019/3(120)/XXVII(8)/2019/ON–07–चूँकि, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के पश्चात् 31 दिसम्बर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा;

और, चूँकि उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन में करदाताओं को कुछ तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 01 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और जिसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं;

अतः, अब, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के प्रयोजनों हेतु 01 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से वार्षिक विवरणी 30 नवम्बर, 2019 को या उसके पहले प्रस्तुत करने का आदेश करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 774/2019/3(120)/XXVII(8)/2019/ON-07**, dated September 23, 2019 for general information.

UTTARAKHAND GOODS AND SERVICES TAX (SEVENTH REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2019

September 23, 2019

No. 774/2019/3(120)/XXVII(8)/2019/ON-07–WHEREAS, sub-section (1) of section 44 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year;

AND, WHEREAS, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of section 44 of the said Act, certain technical problems are being faced by the taxpayers as a result whereof, the said annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section.

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 172 of the said Act, the Governor, on recommendations of the Council, to remove the difficulties is pleased to make the order to furnish annual return electronically for the period from 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 for the purposes of sub-section (1) of Section 44 of the said Act on or before 30th November, 2019.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून

विज्ञप्ति

12 सितम्बर, 2019 ई0

संख्या 2556/तीन–44/रा0प0/2018–19–बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, हरिद्वार, स्थान रुड़की के पत्र संख्या–410/पे0का0, दिनांक 14 अगस्त, 2019 से की गई संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा–4 की उपधारा (2)(क) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या–3741/सी0एच0आई0 ई0–454/53, दिनांक 21 नवम्बर, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके, शासनादेश संख्या–654/XVIii(3)2019–07(21)2008 TC, दिनांक 05 सितम्बर, 2019 के अनुपालन में, मैं, बाल मयंक मिश्र, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि जनपद हरिद्वार के तहसील लक्सर, रुड़की एवं हरिद्वार के नीचे अनुसूची में उल्लिखित गाँवों में उपर्युक्त अधिनियम के अधीन चकबन्दी क्रियाएँ आरम्भ करने में इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से चकबन्दी क्रियाएँ की जायेगी:–

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
1.	मुबारिकपुर अलीपुर	लक्सर	हरिद्वार
2.	अलावलपुर	लक्सर	हरिद्वार
3.	मिर्जापुर सादात	लक्सर	हरिद्वार
4.	झीबरहेडी	लक्सर	हरिद्वार
5.	अबुल हसनपुर	रुड़की	हरिद्वार
6.	कटारपुर (अलीपुर)	हरिद्वार	हरिद्वार
7.	मोहम्मदपुर कुन्हारी	हरिद्वार	हरिद्वार

बी0 एम0 मिश्र,
संचालक, चकबन्दी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

कार्यालयादेश

03 अगस्त, 2019 ई0

पत्रांक 190 निलम्बन/2016–निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु, वाहन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:–

	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेंस संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, निवासी ऊँचौलीगोठ, पो0 टनकपुर, चम्पावत	UK0320010014487 7, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन NT TRANS TR, वैधता 09.04.2022	प्रवर्तन दल, गौतम बुद्ध नगर	तीव्र गति से संचालन	29.07.2019 से 28.10.2019
2.	श्री सूरज सिंह पुत्र श्री हरीश सिंह, निवासी ग्राम बकरियाजुला, पो0 रैघाव, तहसील बाराकोट	UK-0320170037414, हल्का मोटर वाहन NT; TRANS TR, वैधता 07.03.2022	टीआई, लोहाघाट	उपरोक्तानुसार	29.07.2019 से 28.10.2019
3.	श्री हरीश बिनवाल पुत्र श्री देवी दत्त बिनवाल, निवासी कर्मचारी कलोनी, टनकपुर, चम्पावत	UK-0320090000126, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन, NT; TRANS TR, वैधता 04.09.2020	टीआई, टनकपुर	क्षमता से अधिक सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019
4.	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री फाती राम, निवासी ग्राम व पो0 नीड़, जिला चम्पावत	UK-0320050027950, मोटर साइकिल विद गियर, एल एम वी (NT); TRANS TR, वैधता 30.12.2025	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	29.07.2019 से 28.10.2019
5.	श्री छत्रपाल पुत्र श्री हीरा लाल, निवासी गौजाजली तल्ली, हल्द्वानी, जिला नैनीताल	UK-0420030091277, मोटर साइकिल विद गियर, एल एम वी (NT); TRANS TR, वैधता 08.04.2022	टीआई, लोहाघाट	क्षमता से अधिक भार	29.07.2019 से 28.10.2019
6.	श्री गणेश सिंह महराना पुत्र श्री नारायण सिंह महराना, म0 नं0 117, ग्राम बिरगुल, जिला चम्पावत	UK-0320010000200 9, हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 06.09.2026	उपरोक्तानुसार	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग	29.07.2019 से 28.10.2019
7.	श्री देवी दत्त बिनवाल पुत्र श्री राम दत्त बिनवाल, ग्राम नधान पल्सों, जिला चम्पावत	UK3 20110007931, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन, NT, TRANS TR, वैधता 25.12.2019	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019

1	2	3	4	5	6
8.	श्री विदुर कुमार, निवासी जीवनपुर 03, धौडिंग बागमती, नेपाल	DL-01-06-00515056, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 08.01.2035	टीआई, लोहाघाट	क्षमता से अधिक सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019
9.	श्री ब्रजेश कुमार पुत्र श्री बंशी लाल, निवासी ग्राम बाजपुर, पो0 मनपुरहारी, मैनपुरी–206301	UP-8420060008269, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); TRANSR, वैधता 25.06.2021	उपरोक्तानुसार	भार वाहन में सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019
10.	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री माधोसिंह, निवासी ग्राम बीघपुर, पो0 सहनौल, जिला अलीगढ़	UP-8120170002086, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 29.01.2037	उपरोक्तानुसार	भार वाहन में सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019
11.	श्री हरी राम पुत्र श्री जवाहर, निवासी रौलापुर छपरा, अमृतपुर, फरूर्खाबाद–209622	UP76 20120004696, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); TRANS TR, वैधता 02.11.2021	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	29.07.2019 से 28.10.2019
12.	श्री संजय कुमार पुत्र श्री हरिद्वारी लाल निषाद, निवासी घसियारामण्डी, टनकपुर, चम्पावत	UK-0320030004843, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT); TRANS TR, LMV CAB TR LMV GV TR, वैधता 14.11.2020	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019
13.	श्री होशियार सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह बोरा, निवासी साल रीठा चम्पावत	UK-0320120013155, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); TRANS TR, वैधता 09.03.2022	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019
14.	श्री मदन सिंह पुत्र श्री हयात सिंह, निवासी हरोड़ी, पो0 जनकाण्डे, चम्पावत	UK-0320120010305, हल्का वाहन (NT); TRANS TR, वैधता 01.07.2022	उपरोक्तानुसार	भार वाहन में सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019
15.	श्री मंगल सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह, निवासी आनंदपुर, नैनीताल, उत्तराखण्ड	UK-0420080001429, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT); TRANS TR, वैधता 01.07.2022	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	29.07.2019 से 28.10.2019
16.	श्री अमित शर्मा पुत्र श्री अमरनाथ शर्मा, निवासी स्टेट बैंक रोड, वार्ड नं0 6, टनकपुर, चम्पावत	UK-0320150023858, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT); वैधता 10.03.2035	उपरोक्तानुसार	वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग	29.07.2019 से 28.10.2019

1	2	3	4	5	6
17.	श्रीमती कविता भट्ट पत्नी श्री मदन मोहन भट्ट, निवासी चंद फार्म, बनबसा, पो0 चंदनी, चम्पावत	UK-0320120012156, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT); वैधता 21.09.2032	टीआई, लोहाघाट	वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग	29.06.2019 से 28.10.2019
18.	श्री दुर्गेश कुमार पुत्र श्री सिया राम, निवासी ग्राम व पो0 टनकपुर, जिला चम्पावत	UK-0320110007513, मोटर साइकिल, हल्का मोटरवाहन NT; वैधता 09.10.2032	उपरोक्तानुसार	वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग	29.07.2019 से 28.10.2019
19.	श्री पान सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह महरा, निवासी ग्राम मोहनपुर, पो0 व तह0 टनकपुर, चम्पावत	UK-03200700026335, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 07.08.2027	उपरोक्तानुसार	वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग	29.07.2019 से 28.10.2019
20.	श्री संजय कुमार पुत्र श्री दीवानी राम, निवासी, ग्राम सलड़, पो0 सूखीढांग, चम्पावत	UK-0319970019412, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 15.04.2036	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019
21.	श्री चन्द्र प्रकाश जोशी पुत्र श्री जय दत्त, निवासी सीएमटी कलोनी, डहरिया, गली नं0 03, मानपुर, पश्चिम हल्द्वानी	UK-0420130104709, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 27.03.2022	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019
22.	श्री मोहन चंद्र पुत्र श्री धर्मानंद, निवासी ग्राम चांदमारी, काठगोदाम, हल्द्वानी, नैनीताल	UK04-20060121962, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); TRANS TR PSV BUS TR, वैधता 22.01.2020	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019
23.	श्री हिमांशु चंद पुत्र श्री नरेन्द्र चंद, निवासी बिचई, पो0 व तह0 टनकपुर, चम्पावत	UK-0320140021104, मोटर साइकिल विद गियर, (NT); वैधता 11.08.2034	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019
24.	श्री ब्रह्मानंद पुत्र श्री तेज राम, निवासी 92, अंसारी, वार्ड नं0 10, फतेहगंज पश्चिम, बरेली, उ0प्र0	UP-2519850007775, हल्का वाहन (NT); TRANS TR, वैधता 26.05.2020	उपरोक्तानुसार	भार वाहन में सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019
25.	श्री नवीन गोस्वामी पुत्र श्री दर्पण गोस्वामी, निवासी रौनाथल, पो0 बलगारी, जिला चम्पावत	UK-0520120007756, मोटर साइकिल विद गियर, (NT); LMV CAB TR, TRANS TR, PSV BUS TR, वैधता 18.05.2020	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019

1	2	3	4	5	6
26.	श्री सद्दाम हुसैन पुत्र श्री जाकिर, निवासी 206, साहूकारा बाजार कलॉ, तह0 बिलासपुर, जिला रामपुर–244901	UP-2220130005967, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT); TRANS TR, वैधता 15.10.2020	टीआई, लोहाघाट	भार वाहन में सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019
27.	श्री धरम राम पुत्र श्री सोवन राम, निवासी मौसेपुर खुर्द, सोहपुर बरखुड़ा, पीलीभीत, उ0प्र0	UP-2611000891/11, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT); वैधता 28.06.2031	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक भार	29.07.2019 से 28.10.2019
28.	श्री सुमित महरा पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी थुवामेहरा, पो0 कर्णकरायत, लोहाघाट, चम्पावत	UK-0320120011226, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT); TRANS TR, PSV BUS TR, वैधता 02.02.2020	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019
29.	श्री भैरव गिरी पुत्र श्री हयात गिरी, निवासी ग्राम कोटला, पो0 बोहला, जिला चम्पावत	UK-0320150008693, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT; LMC CAB TR, वैधता 23.08.2021	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019
30.	श्री भूवन चंद पाण्डे पुत्र श्री माधवानंद पाण्डे, निवासी ग्राम पथलौट ऐचौली, पिथौरागढ़	UK-0420060121039, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); TRANS TR; वैधता 03.03.2022	उपरोक्तानुसार	भार वाहन में सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019
31.	श्री लतूरी लाल पुत्र श्री टोडी लाल, निवासी जैंतपुर शरीफ पुर, बिशारत गंज, ओनला, बरेली–243302	UP-2519913122599, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT); TRANS TR; वैधता 25.05.2022	उपरोक्तानुसार	भार वाहन में सवारी	29.07.2019 से 28.10.2019

रश्मि भट्ट,
लाइसेंसिंग अथॉरिटी,
टनकपुर, चम्पावत।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग

आदेश

30 सितम्बर, 2019 ई0

संख्या 669/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2019–सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0 पार्ट–3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3, दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर, वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई हैं। अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रुद्रप्रयाग के रूप में, मैं, मोहित कुमार कोठारी, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ:–

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	श्री राम सिंह पुत्र श्री आहलम सिंह, नटराज चौक, देहरादून रोड, ऋषिकेश, देहरादून, पिन–249201	UK-1420130062404, VALIDITY (NT) 16.04.2024, VALIDITY (T) 10.12.2020	ओवर स्पीड व खतरनाक संचालन	ARTO, RUDRAPRAYAG	30.09.2019 से 29.12.2019

मोहित कुमार कोठारी,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 43 हिन्दी गजट/467–भाग 1–क–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 अक्टूबर, 2019 ई0 (कार्तिक 04, 1941 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

नगरपालिका परिषद्, चम्बा (टिहरी गढ़वाल)

प्रस्तावित उपविधि

20 अगस्त, 2019 ई0

पत्र सं0 498/SBM SWM Rules/2019–20–उत्तराखण्ड (नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश–2002) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश–2007 की धारा 298 'ङ' एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 186 की धारा 3, 6 एवम् 25, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 1916 के नियम 15 (ण) तथा उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना तथा थूकना अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नगरपालिका परिषद्, चम्बा, टिहरी गढ़वाल द्वारा पालिका बोर्ड बैठक दिनांक 11 जुलाई, 2019 में प्रस्ताव सं0 06 द्वारा अनुमोदित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए अपने सीमान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2019 बनाती है।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2019

अध्याय–1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :

   (1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, चम्बा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2019 कहलायेगी।

   (2) यह उपविधि उत्तराखण्ड के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

   (3) नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवम् हथालन) उपविधि, 2014 (संशोधित) के क्रम में सरकारी गजट उत्तराखण्ड दिनांक 12 जून, 2017 द्वारा प्रख्यापित उपविधि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उप–नियम, 2019 नगरपालिका परिषद्, चम्बा 2019 लागू होने की तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी।

2. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, चम्बा (टिहरी गढ़वाल) की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. परिभाषाएँ :

   (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उपनियमों में निम्नांकित परिभाषाएँ लागू हैं:–

(क) **"बल्क उद्यान और बागवान कचरा"** का अर्थ हैं, उद्यानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार,कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेडो की कटिंग,टहनियां, लकडी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं।

(ख) **"बल्क कचरा उत्सर्जन** का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम,2016(जिसे बाद में

यहां एस.डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्व वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;

(ग) **"संग्रह"** का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्त्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण

बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुचाना;

(घ) **"सक्षम प्राधिकारी"** का अर्थ हैं नगर निगम का महापौर, अथवा उसके द्वारा अधिकृत

कोई व्यक्ति।

(ड) **"निर्माण एवं विध्वंस कचरा"** का वही अर्थ होगा,जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया हैं।

(च) **"स्वच्छ क्षेत्र"** का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ

तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली,फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख–रखाव इन उपनियमों के अर्न्तगत किया जाना हैं।

(छ) **"सामुदायिक कूडा घर (ढलाव)"** का अर्थ है, नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा स्थापित

और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) **"कंटेनराइज्ड हैड कार्ट"** का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पालिका परिषद चम्बा या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;

(झ) **"सुपुर्दगी"** का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पालिका परिषद चम्बा के

वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौपना अथवा उसे नगर निगम या नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;

(ञ) **"ई–कचरा"** का अर्थ वही होगा, जो ई–कचरा (प्रबंधन) नियम,2016 के नियम 3(1)(आर)

में निर्दिष्ट किया गया हैं;

(ट) **"फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)** " का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस)कहा जा सकता है;

(ठ) **"कूडा–कचरा"** का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ

शामिल जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उप–नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति,जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुचाने की आशंका हो।

(ड) **"गंदगी फैलाने"** का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना

अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) **"स्वामी"** का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं;

(ण) **"अधिभोगी/पट्टेदार"** का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से

का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं।

(प) **"पैलेटाइजेशन"** का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं।

(फ) **"निर्धारित"** का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमो और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;

(ब) **"सार्वजनिक स्थल"** का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान,जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही;

(भ) **" संग्रहण"** का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों,आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(म) **"सैनेटरी वर्कर"** का अर्थ है, नगर पालिका परिषद चम्बा के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र

करने या हटाने अथवा नालियो को साफ करने के लिये नगर निगम/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;

(य) **"शेड्यूल"** का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्व शेड्यूल;

(र) **"इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी"** का अर्थ है, नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा समय–समय

पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;

(ल) **"खाली प्लाट "** का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्व कोई ऐसी

भूमि या खुला स्थाल, जिस पर किसी का कब्जा न हो;

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय –2

ठोस कचरे का श्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4:– ठोस कचरे का श्रोत पर पृथक्कीरण और संग्रहण

i. सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गो में किया जायेगा:–
(क) गैर–जैव अपघटीय या सूखा कचरा
(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा
(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पालिका परिषद चम्बा के निर्देशों के अनुसार पथ्थकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोपेगा।

ii. प्रत्येक ठोस अपशिष्ट /बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गो में:–
(क) गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरा
(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा
(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिम पूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्क्त कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौपेगा और उसके लिए को नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

iii. पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूडेदानों का रंग इस प्रकार होगा:–
हरा:– जैव अपघटीय कचरे के लिए;
नीला:– गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए;
काला:– घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

iv. सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पालिका परिषद चम्बा के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए,पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं। जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिग,उपचार और निपटान कम्पोस्टिग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

v. 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पालिका परिषद चम्बा की भागीदारी के साथ,सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

vi. सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पालिका परिषद चम्बा के भागीदारी सें, कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में –

–संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

vii. कोई व्यक्ति गैर–लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पालिका परिषद चम्बा को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्रोत पर अलग अलग किया जाए, ताकि नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें।

viii. सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबेधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए बनाए गए कूडेदान में रखा जाना चाहिए।

ix. प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूडेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा।

x. उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर पालिका परिषद चम्बा के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

xi. घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पालिका परिषद चम्बा या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

xii. निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

xiii. बायो मेडिकल कचरा, ई–कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

xiv. निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा।

xv. पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी

– निगम श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय–3

ठोस कचरा संग्रह

5:– ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:–

i. नगर पालिका परिषद चम्बा के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पालिका परिषद चम्बा संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

ii. प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर पालिका परिषद चम्बा वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

iii. कचरे को स्व–स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएगे।

iv. सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार सें अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

v. बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें।

vi. फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं।

vii. कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

viii. कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो–टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों(इन उपनियमों के खंड 4 व उप–खंड(पअ) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

ix. कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे

–ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर–जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

x. स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण,घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

xi. प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्व और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर पालिका परिषद चम्बा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी,ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

xii. तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/ साईकिल रिक्सा काम पर लगाया जाएगा,जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

xiii. अत्यंत भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

xiv. ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों/लेनों में जहा थ्रीव्लीहर/रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो,ऐसे स्थानों पर बस्ति/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

xv. ऑटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

xvi. नगर पालिका परिषद चम्बा या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें।

अध्याय–4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6:– द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नाकित अनुसार किया जाएगा

i. घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों

–या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

ii. ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा,जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगें:–
(क) गैर–जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा
(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा
(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

iii. पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगा:–

- हराः जैव अपघटीय कचरे के लिए
- नीलाः गैर–जैव अपघटीय कचरे के लिए
- कालाः घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर पालिका परिषद चम्बा समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

iv. नगर पालिका परिषद चम्बा स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

v. द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पालिका परिषद चम्बा या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप–नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगो के होगे।

vi. संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

vii. संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे।

viii. सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप–नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूडेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढग से संगृहीत किया जा सकें।

ix. नगर पालिका परिषद चम्बा या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे साप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

x. सूखे कचरे (गैर–जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर
(क) नगर पालिका परिषद चम्बा अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है।

(ख) गली/घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर–जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और/या नगर पालिका परिषद चम्बा से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनूसार बैच सकते है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते है। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे।

xi. निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर पालिका परिषद चम्बा अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय–5

ठोस कचरे की ढुलाई

7:– ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:–

i. कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभाति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे। इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है,जो नगर निगम द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

ii. नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूडेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

iii. आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो–मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुचाया जाएगा।

iv. जहा कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

v. एकत्र किया गया गैर–जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुचाया जाएगा।

vi. **निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी।**

vii. नगर पालिका परिषद चम्बा कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

viii. ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें।

ix. कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

x. यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

xi. फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

xii. कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए।

xiii. कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

xiv. इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो–टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूडादानों से कचरा प्राप्त करेंगा।

xv. परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो–टिप्परों , तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्व एमटीएस तैनात किए जाएगें।

xvi. एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर उधर न फैले।

xvii. ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए।

xviii. नगर पालिका परिष्द चम्बा अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय–6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8:– ठोस कचरे की प्रोसेसिंग :–

i. नगर पालिका परिषद चम्बा ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्व ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगा:–

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए

विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो–मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव–स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति;

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बडे कम्पोस्टिंग/बायो–मिथेनेशन प्लांटो के जरिए;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

ii. नगर पालिका परिषद चम्बा रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

iii. कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा।

iv. नगर पालिका परिषद चम्बा सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए।

9:– ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा–निर्देश:–

i. नगर पालिका परिषद चम्बा सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

ii. नगर पालिका परिषद चम्बा यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

iii. नगर पालिका परिषद चम्बा यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्को से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्को और उद्यानों में ही किया जाए।

iv. नगर पालिका परिषद चम्बा कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य हागा।

अध्याय–7

ठोस कचरे का निपटान

10:– ठोस कचरे का निपटान

नगर पालिका परिषद चम्बा अवशिष्ठ कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैडफिल और सम्बद्ध ढाचे का निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव करेगा।

अध्याय–8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11:– ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क:–

(क) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची–1 में निर्दिष्ट है।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगर पालिका परिषद चम्बा इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर पालिका परिषद चम्बा ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगा।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/ व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भॉती वसूल की जायेगी।

12:– एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माला/दंड :–

(क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप–नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप–नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर–अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी कर निरीक्षक, सब इन्सपैक्टर चौकी , थाना प्रभारी तथा जिला मैजिस्ट्रेट एवम या अध्यक्ष के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूचि 2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी।

(ड) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया

--जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय–9

प्रतिभागियों के दायित्व

13:– कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः–

i. कूडा फेकने पर पाबंदी

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना : अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावघान किए गए सार्वजनिक केद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा।

(ख) किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना : अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा।

(ग) वाहनों से कूडा फेकना : किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फैकेगा।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना : कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सडक, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

(ड) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी : कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान : कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नही डालेगा।

ii. कचरे को जलाना : सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्व होगा।

iii. "स्वच्छ क्षेत्र" : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सडक किनारा सामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

iv. सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधयों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर पालिका परिषद चम्बा से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी

–गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वस्च्छता सुनिश्चित करें।

v. ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगर पालिका परिषद चम्बा द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्व जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पालिका परिषद चम्बा की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगर पालिका परिषद चम्बा के सम्बद्व जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

vi. खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर–निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पालिका परिषद चम्बा निम्नांकित ढंग से निपटेगा :–

(क) नगर पालिका परिषद चम्बा किसी परिषर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पालिका परिषद चम्बा निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है :–

i. ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (पप) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा।

vii. डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व :

(क) डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पालिका परिषद चम्बा के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पालिका परिषद चम्बा को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर पालिका परिषद चम्बा इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्स सरकार के सम्बद्व विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिको को, जो गैर–जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हें ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थो का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी।

14:— नगर पालिका परिषद चम्बा के दायित्व :

i. नगर पालिका परिषद चम्बा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पालिका परिषद चम्बा अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी–निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद चम्बा सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यता हों।

ii. नगर पालिका परिषद चम्बा अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडेदानों का रख रखाव करेगा।

iii. नगर पालिका परिषद चम्बा विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके।

iv. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम सफाई निरीक्षक या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

v. प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पालिका परिषद चम्बा जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

vi. नगर पालिका परिषद चम्बा अद्यतन सडक/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

vii. नगर पालिका परिषद चम्बा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

viii. नगर पालिका परिषद चम्बा कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर ही उपचार करे। नगर निगम विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे

–बायो–मिथेनेशन, कम्पोस्टिग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

ix. नगर पालिका परिषद चम्बा स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्कों, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्व तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है।

x. नगर पालिका परिषद चम्बा ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

xi. नगर पालिका परिषद चम्बायह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

xii. नगर पालिका परिषद चम्बा कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

xiii. किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पालिका परिषद चम्बा को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

xiv. नियमित जांच : महापौर, उपमहापौर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

xv. नगर पालिका परिषद चम्बा अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

xvi. नगर पालिका परिषद चम्बाएसडब्ल्यूएम नियमों और उप–नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्व कर्मचारियों की उपस्थिकत दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाडी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

xvii. पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुच : अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका परिषद चम्बा अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा।

xviii. नगर पालिका परिषद चम्बाएसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं।

अध्याय–10

विविध

15:– इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे महापौर, नगर पालिका परिषद चम्बा के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

16:– सरकारी निकायों के साथ समन्वय : नगर पालिका परिषद चम्बा अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17:– सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप–नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं

अनुसूची–1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1	2	3
क्र सं	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्जेज रुपये में)
1	गरीबी रेखा से नीचे के घर (बी.पी.एल कार्ड धारक)	निशुल्क
2	कम आय/ मध्यम आय वर्ग वाले घर	रू0 30.00
3	सब्जि एवं फल विक्रेता	रू0 100.00
4	थोक मण्डि वाले विक्रेता	रू0 300.00
5	मांस एवं मछली विक्रेता	न्यूनतम रू0 250.00
6	रेस्टोरेन्ट	रू0 200.00
7	होटल/लॉजिग/गेस्ट हाऊस	रू0 200.00 प्रतिमाह 20 बैड तक रू0 350.00 प्रतिमाह 21–40 बैड तक रू0 500.00 प्रतिमाह 41–50 से उससे अधिक बैड तक
8	धर्मशाला	
9	बरातघर(चेरिटेबिल)	रू0 2000.00 प्रति शादी/उत्सव/समारोह
10	बेकरी	रू0 200.00
11	कार्यालय/बैंक	रू0 100.00

12	संस्थाएं(आवासीय)	पालिका एवम संस्था द्वारा निर्धारण के आधार पर
13	संस्थाएं(अनावासीय)	पालिका एवम संस्था द्वारा निर्धारण के आधार पर
14	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	रू0 350.00
15	क्लीनिक/पैथोलोजी	रू0 100.00
16	दुकान/चाय की दंकान	रू0 50.00
17	फैक्ट्री	पालिका एवम संस्था द्वारा निर्धारण के आधार पर
18	वर्कशॉप	रू0 150.00 छोटी वर्कशॉप रू0 200.00 बडी वर्कशॉप
19	कबाडी	रू0 200.00 छोटा दुकान का कबाडी रू0 300.00 बडी दुकान का कबाडी
20	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	रू0 10.00 प्रतिदिन ठेली/फड
21	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	रू0 400.00 प्रतिदिन होटल रू0 700.00 प्रतिदिन वैडिंग पांईन्टस
22	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	रू0 200.00 प्रतिदिन 0.50 ध0मी0 तक रू0 200.00 प्रतिदिन 1.00 धनमी0 तक
23	सिनेमा हॉल	रू0 500.00 प्रतिमाह
24	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य(प्रतिस्ठान की स्थिति के अनुसार)	पालिका के स्तर से निर्धारण किया जायेगा ।
25	वाईन शॉप	रू0 500.00
26	जनरल स्टोर (किराना दुकान)	रू0 50.00

इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलम्ब भुगतान/प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची–2

जुर्माना/दंड

क्र सं	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1.	एस.डब्ल्यू.एम. नियमों का नियम 4 (1) (क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना	आवासीय बल्क जनरेटर	रू0 200.00 रू0 500.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/ पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल	रू0 10,000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	रू0 5000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर–आवासीय स्थान	रू0 500
			मछली, मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना	रू0 500
	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	सडक/गली में 1. कूडा फैकना,थूकना 2.नहाना,पैशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना,गोबर नाली में बहाना	उल्घनकर्ता	रू0 200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी। रू0 500

2.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	रू0 200
			गैर–आवासीय / बल्क जन्रेटर	रू0 500
3.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	रू0 1000
			गैर–आवासीय / बल्क जन्रेटर	रू0 5000
4.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट),	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	रू0 5000
5.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	रू0 10,000
6.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता / वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने,अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	रू0 200
7.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलो, सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना / कुत्ते / अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग / उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	रू0 500

निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा				
8.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर.डब्ल्यू.ए	10,000
			बजार एसोसिएशन,संघ	20,000
9.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	10,000
			संस्थान	20,000
10.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	50,000
			रेस्टोरेंट	20,000
11.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर/स्वामी	1,00,000
12.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कुपनियां	50,000
13	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ङ)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटि या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि	50,000
14	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक /वाहन/चालक	1000
15	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगर निगम की उप विधि को होटल/अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल / अतिथिग्रह स्वामी	1000

16		सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशिनियों, सर्कस,मेले,राजनैतिक रैलिया,वाणिजिक,धार्मिक, सास्कृतिक कार्यकमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस–पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	5000

एस0 पी0 जोशी,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्–चम्बा,
टिहरी गढ़वाल।

सुमना रमोला,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्–चम्बा,
टिहरी गढ़वाल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 43 हिन्दी गजट/467–भाग 8–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।